राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र

क्रमांक 35/ कोटा 86-87

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेठ रामजीदास मादी विद्या निकेतन समिति जिला- कोटा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1948 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण- पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 3-7-86 को कोटा में दिया गया।

(आर०सी०शर्मा)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
कोटा (राजस्थान)

रजिस्ट्रार संस्थाएं कोटा (राज०)